न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–63/2018

CIS NO. TS. 549/2018

मृतक मो0 हसमुद्दीन के विधिक वारिसान..वादीगण

बनाम

संतोष प्रसाद..प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
28.02.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.11.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिस्थापित वादी सं0–01 सलेहा खातुन की मृत्यु दिनांक 01.10.2022 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिस्थापित वादी सं0–01 सलेहा खातुन के विधिक वारिसान पूर्व से ही प्रस्तुत वाद में वादीगण है। अतः वादपत्र से प्रतिस्थापित वादी सं0–01 सलेहा खातुन का नाम कलमजद करने की कृपा करे। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिस्थापित वादी सं0–01 सलेहा खातुन की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है। वादीगण का आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगणों का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिस्थापित वादी सं0–01 सलेहा खातुन का नाम कलमजद करें। वाद दिनांक 29.03.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	